प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

विविध अपील क्रमांक 723/2003

अपीलकर्ता: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

प्रत्यर्थी : कु. परमेश्वरी एवं अन्य

विविध अपील क्रमांक 935/2003

अपीलकर्ता: कु. परमेश्वरी एवं अन्य

बनाम

प्रतिवादी: उमेशराय एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश / अधिनिर्णय

विचारार्थ दिनांक **30-6-2011**

हस्ताक्षर/–

एन.के.अग्रवाल
न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश
"मैं सहमत हूँ"

हस्ताक्षर/–
मुख्य न्यायाधीश

आदेश हेतु प्रस्तुत: **1-7-2011**

हस्ताक्षर/–
एन. के. अग्रवाल
न्यायाधीश

दिनांक: **30-6-2011**

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 723/2003

अपीलकर्ता नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

उत्तरवादी क्रमांक 3 रायपुर, शाखा प्रबंधक के माध्यम से, बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी दावाकर्ता क्रमांक 1 1. कु. परमेश्वरी, आयु 2 वर्ष, पिता स्व. श्याम राम निर्मलकर

उत्तरवादी दावाकर्ता क्रमांक 2 2. लिकेश्वर कुमार, आयु 5 वर्ष, पिता स्व. श्याम राम निर्मलकर

उत्तरवादी दावाकर्ता क्रमांक 3 3. कु. पेमिन, आयु 14 वर्ष, पिता स्व. श्याम राम निर्मलकर

दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 नाबालिग हैं, जो अपनी प्राकृतिक अभिभावक —माता दसोदा बाई निर्मलकर, पत्नी स्व. श्याम राम निर्मलकर—के माध्यम से प्रस्तुत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी दावाकर्ता क्रमांक 4 4. दसोदा बाई निर्मलकर, आयु 37 वर्ष, पति स्व. श्याम राम निर्मलकर, गृहिणी, निवासी ग्राम–कानपा, पोस्ट बिरकोनी, थाना तुमगांव, जिला महासमुंद (छ.ग.)

उत्तरवादी क्रमांक 1 5. उमेश राय, आयु 32 वर्ष, पिता झारिलाल, निवासी शीलाथपुर, थाना दरियापुर, जिला छपरा, बिहार, अन्य पता—बसंत कुमार बेहटी के अधीन कर्मचारी, निदेशक, एम.एस. जमुना ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, 11, पोलक स्ट्रीट, कलकत्ता *(चालक)*

उत्तरवादी क्रमांक 2 6. बसंत कुमार बेहटी, आयु 50 वर्ष, पिता ज्ञात नहीं, चालक, एम.एस. जमुना ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोलक स्ट्रीट, कलकत्ता–1 *(स्वामी)*

विविध अपील क्रमांक 935/2003

अपीलकर्ता / दावाकर्ता

1. कु. परमेश्वरी,पिता श्यामराम निर्मलकर, आयु लगभग 2 वर्ष
2. लिकेश्वर कुमार, पिता स्व. श्यामराम निर्मलकर, आयु 5 वर्ष, जाति कमार
3. कु. पेमिन, पिता स्व. श्यामराम निर्मलकर, आयु 14 वर्ष
4. दसोदा बाई निर्मलकर, पति स्व. श्यामराम निर्मलकर, आयु 37 वर्ष, गृहिणी;

अपीलकर्ता क्रमांक 1, 2 एवं 3 की ओर से उनकी विधिक अभिभावक के रूप में प्रस्तुत।

बनाम

उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. **उमेशराय**, पिता झारिलाल, आयु लगभग 32 वर्ष, पेशा – चालक, निवासी – सीतलपुर, थाना दरियापुर, जिला छपरा (बिहार), अन्य पता बसंत कुमार बेहटी, निदेशक, एम.एस. जमुना ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, 2, पोलॉक स्ट्रीट, कलकत्ता – 700001
2. **बसंत कुमार बेहटी**, पिता अज्ञात, आयु 50 वर्ष, निदेशक एवं वाहन स्वामी, निवासी – एम.एस. जमुना ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 11, पोलक स्ट्रीट, कलकत्ता – 703001
3. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**, डिविजनल ऑफिस, मोबिन महल, जी.ई. रोड, जिला – रायपुर (छ.ग.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपीलें

पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल

उपस्थित :

श्री बी.एन. नांदे, अधिवक्ता – नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से।
श्री शिवेन्दु पंड्या, अधिवक्ता – दावेदारों की ओर से।
अन्य प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अधिनिर्णय निर्णय

(दिनांक 01/07/2011 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दो अपीलें क्रमांक विविध अपील क्रमांक 723/2003 तथा विविध अपील क्रमांक 935/2003, दिनांक 28-06-2003 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महासमुंद द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 30/2001 में पारित किया गया था। इनमें से एक अपील नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रतिकर के भुगतान संबंधी अपनी देयता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जबकि दूसरी अपील दावेदारों द्वारा प्रदत्त प्रतिकर की राशि में वृद्धि की मांग हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. दिनांक **25-07-2001** को, बस क्रमांक एमबीसी **/1493** के चालक **श्याम राम निर्मालकर** को ट्रक क्रमांक ए.एस./**01/6116** ने टक्कर मार दी, जिसे चालक **उमेश राय** द्वारा अत्यंत तेज़ एवं लापरवाहीपूर्वक चलाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप **श्याम लाल निर्मालकर** की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

3. मृतक **श्याम लाल निर्मलकर** के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा, अपने परिवार के भरण-पोषण करने वाले की मृत्यु के लिए मुआवज़े के रूप में **रु. 19,80,000/-** की राशि का दावा मोटरयान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में **"**अधिनियम**"**) की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर किया गया था। उक्त आवेदन पर विचार करते हुए माननीय अधिकरण ने कुल **रु. 3,91,000/-** की राशि प्रतिकर के रूप में तथा आवेदन की तिथि से वास्तविक भुगतान

की तिथि तक **9% वार्षिक ब्याज** सहित प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया। साथ ही, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**, ट्रक के चालक एवं स्वामी के साथ संयुक्त एवं पृथक रूप से दुर्घटना दावेदारों को उक्त राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी ठहराई गई।

4. माननीय अधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिकर की राशि की शुद्धता अथवा अन्यथा की जाँच करने के उद्देश्य से, हमने अधिकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

5. माननीय अधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों की सूक्ष्म जाँच के पश्चात मृतक की वार्षिक आय **रु. 36,000/-** निर्धारित की। मृतक के व्यक्तिगत एवं जीवन-यापन व्ययों हेतु आय का **1/3 भाग घटाकर**, तथा मृतक की आयु **40 वर्ष** को ध्यान में रखते हुए **16 का गुणक** लागू कर, प्रतिकर की राशि **रु. 3,84,000/-** निर्धारित की। इसके अतिरिक्त, माननीय अधिकरण द्वारा **रु. 7,000/-** की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की गई। अन्य मदों के अंतर्गत तथा इस प्रकार दावेदारों को मुआवज़े के रूप में कुल ₹3,91,000/- की राशि प्रदान की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. ठोस एवं निर्णायक साक्ष्य के अभाव में, मृतक की वार्षिक आय के संबंध में की गई निष्कर्षात्मक निर्धारण में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। माननीय अधिकरण द्वारा मृतक की व्यक्तिगत एवं जीवन-यापन व्ययों हेतु उसकी आय का सामान्यतः 1/3 भाग घटाया जाना भी त्रुटिपूर्ण नहीं है। मृतक की आयु 40 वर्ष थी। *सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य*, रिपोर्टेड 2009 (6) एससीसी 121 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के अनुसार 36 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 15 का गुणक निर्धारित किया गया है, जबकि माननीय अधिकरण द्वारा 16 का गुणक लागू किया गया, जो कुछ हद तक अधिक प्रतीत होता है। तथापि, प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् हमारे मत में प्रदत्त मुआवज़ा न्यायसंगत एवं युक्तिसंगत है तथा उसमें वृद्धि का कोई आधार नहीं है।

7. अतः इन अपीलों में निर्णय हेतु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में माननीय अधिकरण द्वारा प्रतिकर के भुगतान का दायित्व बीमा कंपनी पर आरोपित करने में कोई त्रुटि की गई है।

8. बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन. नांदे द्वारा यह मुख्य आपत्ति उठाई गई है कि माननीय अधिकरण ने दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 नियम 4 के

अंतर्गत दायर बीमा कंपनी के आवेदन को अस्वीकार कर गंभीर त्रुटि की है, जिसके माध्यम से डी.टी.ओ., कामरूप, गुवाहाटी (पश्चिम क्षेत्र) के अधिकारी/कर्मचारी की जाँच हेतु कमीशन जारी करने का अनुरोध किया गया था। उनके अनुसार, जाँच में ट्रक चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जाली पाया गया था तथा उक्त आवेदन को अस्वीकार कर माननीय अधिकरण ने त्रुटि की। न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता/बीमा कंपनी को अपना प्रतिरक्षा पक्ष सिद्ध करने के अवसर से वंचित किया गया है तथा इस आधार मात्र पर ही अधिरोपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाना उपयुक्त है।

9. श्री नांदे द्वारा उठाए गए तर्क की सराहना करने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम 19 तथा आदेश 26 नियम 4 को उद्धृत करना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार हैं :—

आदेश 16 नियम 19 — कुछ सीमाओं के भीतर निवास न करने वाले साक्षियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश नहीं

किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह—

(क) न्यायालय के सामान्य मूल अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो; या

(ख) उक्त सीमाओं के बाहर निवास करता हो, किन्तु ऐसे स्थान पर हो जो न्यायालय से एक सौ मील से कम दूरी पर हो, अथवा (जहाँ रेल या स्टीमर संचार अथवा अन्य स्थापित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो, जो उस स्थान और न्यायालय स्थित स्थान के बीच की दूरी के पाँच-छठे भाग तक उपलब्ध हो) न्यायालय भवन से पाँच सौ किलोमीटर से कम दूरी पर हो:

परंतु यह कि, जहाँ इस नियम में उल्लिखित दोनों स्थानों के बीच हवाई परिवहन उपलब्ध हो और साक्षी को हवाई यात्रा का किराया दिया जाए, वहाँ उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता है।

आदेश 26 नियम 4 — वे व्यक्ति जिनके परीक्षण हेतु आयोग जारी किया जा सकता है

(1) किसी भी वाद में कोई भी न्यायालय निम्नलिखित व्यक्तियों के परीक्षण के लिए, चाहे पूछताछ प्रश्नों पर हो अथवा अन्यथा, आयोग जारी कर सकता है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) कोई भी व्यक्ति जो उसके अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करता हो;

(ख) कोई भी व्यक्ति जो उस तिथि से पूर्व उक्त सीमाओं को छोड़ने वाला हो, जिस तिथि को उसे न्यायालय में परीक्षण हेतु उपस्थित होना आवश्यक है; तथा

(ग) कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में हो और जो न्यायालय की राय में, सार्वजनिक सेवा को क्षति पहुँचाए बिना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता हो।

परंतु यह कि, जहाँ आदेश 16 के नियम 19 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, वहाँ यदि न्याय के हित में उसका साक्ष्य आवश्यक समझा जाए, तो उसके परीक्षण हेतु आयोग जारी किया जाएगा:

यह भी परंतु, कि ऐसे व्यक्ति के पूछताछ प्रश्नों पर परीक्षण हेतु आयोग तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय अभिलेख पर अंकित किए जाने योग्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक न समझे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) ऐसा आयोग उस किसी भी न्यायालय को, जो उच्च न्यायालय न हो, उसकी स्थानीय अधिकार-सीमा के भीतर, जहाँ ऐसा व्यक्ति निवास करता हो, या ऐसे किसी अधिवक्ता अथवा अन्य व्यक्ति को, जिसे आयोग जारी करने वाला न्यायालय नियुक्त करे, जारी किया जा सकता है।

(3) इस नियम के अधीन कोई भी आयोग जारी करते समय न्यायालय यह निर्देश देगा कि आयोग की रिपोर्ट स्वयं उसी न्यायालय को लौटाई जाएगी अथवा किसी अधीनस्थ न्यायालय को।

10. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 के नियम 19 के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह न्यायालय के मूल अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास न करता हो। आदेश 26 के नियम 4 के परंतुक के अनुसार, जहाँ आदेश 16 के नियम 19 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जा सकता, वहाँ यदि न्याय के हित में उसका साक्ष्य आवश्यक समझा जाए, तो उसके परीक्षण हेतु आयोग जारी किया जाएगा।

11. अब वर्तमान वाद के तथ्यों पर लौटते हुए, इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि बीमा कंपनी ने अपने लिखित कथन में इस आधार पर अपनी देयता से इंकार किया है कि

दुर्घटना के समय ट्रक का चालक वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारण नहीं किए हुए था, क्योंकि जाँच के दौरान यह पाया गया कि उसके पक्ष में जारी बताया गया ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक **78212/1987/GHT** जाली था, और इसलिए जिला परिवहन अधिकारी, कामरूप, गुवाहाटी (पश्चिम क्षेत्र) के अधिकारी/कर्मचारी, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निवास करते हैं। माननीय अधिकरण ने यह कहते हुए बीमा कंपनी के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया कि उक्त साक्ष्य न्याय के हित में आवश्यक नहीं है। अतः माननीय अधिकरण द्वारा आवेदन को अस्वीकार करना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 4 के अंतर्गत, जब कोई साक्षी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निवास करता हो, तो उसकी परीक्षा हेतु कमीशन जारी किया जाना अनिवार्य है, तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम 19 के अनुसार ऐसे साक्षी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत, बीमा कंपनी को यह आधार लेकर वाद का प्रतिरक्षण करने का अधिकार है कि वाहन के स्वामी ने बीमा पॉलिसी की निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऐसे चालक को वाहन चलाने की अनुमति दी, जो विधिवत लाइसेंसधारी नहीं था अथवा दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के कब्जे में नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि बीमा कंपनी को कानून के अंतर्गत यह अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वह अपने इस कथन को प्रमाणित कर सके कि प्रतिवादी/चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जाली एवं कूटरचित है।

13. अतः माननीय अधिकरण द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, कामरूप, गुवाहाटी (पश्चिम क्षेत्र) के अधिकारी/कर्मचारी की कमीशन के माध्यम से परीक्षा कराए जाने हेतु बीमा कंपनी के आवेदन को अस्वीकार करना विधिक त्रुटि है।

14. उपर्युक्त कारणों के मद्देनज़र, दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, विविध अपील क्रमांक 935/2003, **ख़ारिज** की जाती है। नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अपील, विविध अपील क्रमांक 723/2003, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

अक्षेपित अधिनिर्णय का वह भाग, जिसके द्वारा प्रतिवादी/बीमा कंपनी पर प्रतिकर के भुगतान का दायित्व आरोपित किया गया था, **अपास्त** किया जाता है। प्रकरण को पुनः

अधिकरण को इस उद्देश्य से **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि वह अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा आयोग जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का, उपर्युक्त किए गए अवलोकनों के आलोक में, **नवसिरे से** विचार करे तथा पक्षकारों को, यदि कोई हो, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार बीमा कंपनी के दायित्व का निर्धारण करे। अधिनिर्णय का शेष भाग यथावत् प्रभावी रहेगा।

15. दावाकर्ताओं को उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई राशि को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय अधिकरण अधिनिर्णय पारित करते समय उक्त राशि के समायोजन के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

16. अधिकरण का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए।

17. पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक **1-8-2011** को महासमुंद स्थित संबंधित अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

18. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/–
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर/–
एन. के. अग्रवाल
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Kusum Lata

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur